न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 152/2020

प्रार्थीगण :-

1. चेनाराम पुत्र खेता
2. पुरखाराम पुत्र खेता
3. जैसाराम पुत्र लाधाराम
4. पूनमाराम पुत्र लाधाराम
5. आइदान पुत्र लाधाराम
6. दलूदेवी पत्नी लाधाराम
7. खुमाराम पुत्र मोमताराम
8. पपूराम पुत्र मोमताराम
9. हरखू पत्नी मोमताराम
10. काना पुत्र हीरा (फौत – बिलोपित)
11. भंवरा पुत्र सोना

जाति जाट निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. मूलाराम पुत्र हीरा
2. आईदान पुत्र हीरा
3. पीरा पुत्र हीरा
4. जेसाराम पुत्र हीरा
5. फूसाराम पुत्र हीरा
6. केहरा पुत्र रामू
7. घमण्डा पुत्र रामू
8. पुरखा पुत्र रामू
9. हुकमा पुत्र हरू
10. सोनी पत्नी हरू (फौत -- बिलोपित)

जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

11. पोकर पुत्र खेता
12. मूला पुत्र खेता
13. वागा पुत्र गेना
14. सुरता पुत्र गेना
15. हेमा पुत्र सता
16. फूआ पुत्र सता
17. भगा पुत्र सता जाति मेगवाल निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालान

जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

18. रामा पुत्र लाला जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी
19. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:00:40 IST
Reason: SelfAttested

—।। आदेश ।।—

दिनांक :– 14.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ... का जबाव पेश नहीं करने से जबाव का अवसर बन्द किया ... विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक ... कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2070–2073 सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 117, 165 रकबा क्रमशः 23–00, 33–14 बीघा किस्म बा. दोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा राणासर खुर्द के खेत खसरा नम्बर 117, 165 रकबा क्रमशः 23–00, 33–14 बीघा किस्म बा. दोयम भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल ... दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14/11/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:30:40 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी